निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1941 (श0)
(सं0 पटना 1370) पटना, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
31 दिसम्बर 2019

एस०ओ० 411, दिनांक 31 दिसम्बर 2019--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियमावली, 2019 है ।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यह अधिसूचना 26 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जायेगी ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी, “20 प्रतिशत” अंक और शब्द के स्थान पर “10 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमावली के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“86क. इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें.-

(1) आयुक्त या उसके द्‌वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह-

(क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-

(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्‌वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्‌वारा जारी ; या

(ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,

कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

(ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है ; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

(ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है ; या

(घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रानिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा ।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्‌वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते के विकलन को अननुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे ।

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ङ में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है ।"।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3941)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

31 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 411, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–7)–3941)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 31st December 2019

S.O. 411, Dated the 31st December 2019--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from 26th day of December, 2019.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st January, 2020, in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words "20 percent.", the figures and words "10 per cent." shall be substituted.

3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:-

"**86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-**

(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as-

(a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-

i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

ii. without receipt of goods or services or both; or

(b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or

(c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or

(d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.".

4. In the said rules, with effect from the 11th January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7) 3941)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1370-571+10-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in